

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 23 जनवरी 2013—माघ 3, शक 1934

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2013

क्र. एफ 1-3/2012-साठ.—मंत्रि-परिषद् की दिनांक 16 जनवरी 2013 को सम्पन्न बैठक में मध्यप्रदेश में सौर ऊर्जा पार्क के क्रियान्वयन हेतु नीति का अनुमोदन किया गया है. सर्वसाधारण की जानकारी के लिये उक्त नीति का प्रकाशन “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” में किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. मोहन्ती, प्रमुख सचिव.

सौर ऊर्जा पार्क विकास नीति

परिशिष्ट “स”

मध्यप्रदेश राज्य में सौर ऊर्जा पार्क के विकास हेतु नीति.

प्रस्तावना :—मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाओं की क्रियान्वयन नीति-2012, 18 जुलाई 2012 को अधिसूचित की गई है. नीति के सामान्य प्रावधान (खण्ड-ब कण्डिका-4) में प्रावधानित है, कि—“सौर प्रौद्योगिकी पार्कों का संवर्धन: (Promotion of Solar Energy Technology Parks): राज्य शासन द्वारा सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के अन्तर्गत निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सौर ऊर्जा पार्कों की स्थापना हेतु कार्यवाही की जावेगी. इन सौर ऊर्जा पार्कों की स्थापना राज्य शासन द्वारा स्वयं अथवा सार्वजनिक-निजी क्षेत्र सहभागिता (PPP) के माध्यम से की जा सकेगी. सौर प्रणालियों के अंतर्गत उत्पादन तथा विनिर्माण इकाईयों तथा संबंधित सहायक इकाईयों के संवर्धन हेतु सौर प्रौद्योगिकी पार्कों को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा मध्यप्रदेश राज्य में उचित स्थानों पर इनकी स्थापना की जाएगी. लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र (SME Sector) को सौर प्रणालियों के विभिन्न कलपुर्जों तथा प्रणालियों के विनिर्माण हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा. राज्य सरकार द्वारा सौर प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना हेतु भूमि आवंटन तथा अत्यावश्यक सुविधाओं के सृजन हेतु प्राथमिकता प्रदान की जाएगी. ऐसे सौर प्रौद्योगिकी पार्कों को राज्य की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति (Industrial Promotion Policy) (जैसा कि इसे समय-समय पर संशोधित किया जाए) के अंतर्गत सुविधाएं प्राप्त करने की पात्रता भी होगी.”

सौर ऊर्जा पार्क, सौर ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन परियोजना एवं सौर ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण एवं सहायक इकाईयों के एकीकृत क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाना अवधारित है. सौर ऊर्जा पार्क के निर्माण में यह अवधारित है कि एक वृहद क्षमता की स्थापना से सौर ऊर्जा से उत्पादित विद्युत समुचित लागत (Reasonable Cost) पर उपलब्ध हो सकेगी. सौर ऊर्जा पार्क के निर्माण से लघु श्रेणी/निवेशक भी सौर ऊर्जा के विकास में भागीदार हो सकेंगे. सौर ऊर्जा पार्क से विद्युत ग्रिड में एक स्थान पर अधिक क्षमता की विद्युत उपलब्ध हो सकेगी.

उपरोक्त के अतिरिक्त, पार्क के माध्यम से एकल खिड़की अनुमति की व्यवस्था, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के त्वरित विकास हेतु उपलब्ध होगी.

नीति संरचना.—यह नीति म. प्र. शासन द्वारा अधिसूचित “सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाओं की क्रियान्वयन नीति—2012” की परिधि में प्रतिपादित की गई है. इस नीति में किसी भी प्रावधान की व्याख्या की आवश्यकता होने पर “सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाओं की क्रियान्वयन नीति—2012” के प्रावधानों को इस नीति के ऊपर मान्यता होगी.

खण्ड—अ नीति के मार्गदर्शी सिद्धांत

1. **प्रयोज्यता (Applicability)** 1. समस्त सौर ऊर्जा आधारित विद्युत की परियोजनाएं सौर फोटोवोल्टीय (Solar PV) /सौर ताप (Solar Thermal) तथा सौर ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित उपकरणों की विनिर्माण इकाईयों या सहायक इकाईयों को इस नीति के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी.

2. इस नीति के अंतर्गत केवल नये संयंत्रों तथा मशीनों को ही स्थापित किये जाने की पात्रता होगी.

2. **प्रतिभागिता.**—इस नीति के अंतर्गत, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिये पंजीकृत कम्पनी को स्वयं या बोलीकर्ता कन्सोरशिम के पार्टनर के रूप में आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता होगी. विदेशी कंपनी को भी आवेदन की स्वयं या बोलीकर्ता कन्सोरशिम के पार्टनर के रूप में आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता होगी, परन्तु आवंटन पत्र के पूर्व उन्हें भारत में पंजीकृत कंपनी बनानी होगी. कंपनियों Special Purpose Vehicle (S P V) के माध्यम से भी परियोजना क्रियान्वित कर सकती है, परन्तु S P V आवंटन पत्र के पूर्व निर्मित होनी होगी. आवेदनकर्ता का न्यूनतम टर्नओवर आवेदित क्षमता पर रुपये 5 करोड़ प्रति मेगावाट होना आवश्यक होगा. आवेदनकर्ता को आवेदित क्षमता के 50 प्रतिशत क्षमता के सौर संयंत्र के स्थापना का अनुभव होना होगा. उदाहरण स्वरूप—“यदि आवेदनकर्ता 100 मेगावाट क्षमता के लिए आवेदन करता है, तो उसका न्यूनतम टर्नओवर रुपये 500 करोड़ एवं उसके द्वारा पूर्व में 50 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं क्रियान्वित की गई हों, होना चाहिए.” सौर ऊर्जा परियोजना नीति-2012 में उल्लेखित सभी श्रेणियों के अंतर्गत इकाईयां पार्क में इकाई स्थापित करने हेतु योग्य होगी.

3. **सौर ऊर्जा पार्क विकास के माध्यम.**—सौर पार्क का विकास निम्न माध्यमों के तहत होगा :

माध्यम-अ : सार्वजनिक निजी क्षेत्र सहभागिता.—अ (1) पूर्णतः निजी निवेश के माध्यम से शासकीय भूमि पर सौर ऊर्जा पार्क का विकास.

अ (2) निजी विकासक द्वारा शासकीय भूमि पर, पार्क के विकास में आने वाली लागत में शासन के साथ भागीदारी के माध्यम से सौर ऊर्जा पार्क का विकास.

अ (3) शासन द्वारा निजी भूमि पर सौर ऊर्जा पार्क का विकास.

अ (4) निजी विकासक द्वारा निजी भूमि पर, पार्क के विकास में आने वाली लागत में शासन के साथ भागीदारी के माध्यम से सौर ऊर्जा पार्क का विकास.

नोट:—पार्क विकास के उपरोक्त माध्यमों से विकसित सौर ऊर्जा पार्क की, स्थापित क्षमता में विकासकों हेतु क्षमता में हिस्सेदारी निम्नानुसार होगी:—

माध्यम अ (1) हेतु—निजी विकासक को पार्क की क्षमता के उपयोग तथा पार्क के लेआउट (layout) डिजाईन (Design) व निवेशकों का चयन व अन्य वाणिज्यिक निर्णयों हेतु संपूर्ण अधिकार होगा। विकासक को पार्क की क्षमता की कम से कम 25 प्रतिशत क्षमता की विद्युत, म. प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी को औसत पूल पावर दर (APPC) पर विक्रय करना होगी वैकल्पिक रूप से विभाग चिन्हित भूमि विकासकों को आवंटित कर सकता है व क्षमता अनुसार मुख्य विकासक या सभी विकासकों द्वारा संयुक्त रूप से पार्क का विकास किया जा सकता है।

माध्यम अ (2) हेतु—सामान्यतः निजी निवेशक को पार्क के प्रबंधन/नियंत्रण, पार्क प्रबंधन हेतु निर्णय व पार्क का दैनिक संचालन का अधिकार होगा। निजी विकासक का उनके निवेश के अनुसार पार्क की समानुपाती क्षमता पर संपूर्ण अधिकार होगा। यदि निवेश में शासन की सहभागिता 50 प्रतिशत से अधिक होती है तो उपरोक्त जिम्मेदारी शासन की होगी व शासन द्वारा एस. पी. व्ही. (S.P.V.) या किसी एजेन्सी जो उपयुक्त हो जैसे कि ऊर्जा विकास निगम, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम आदि के माध्यम से पार्क का विकास किया जा सकता है। विकासक को पार्क की क्षमता की कम से कम 25 प्रतिशत क्षमता की विद्युत, म. प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी को औसत पूल पावर दर (APPC) पर विक्रय करना होगी।

माध्यम अ (3) हेतु—निजी भू-स्वामी को पार्क हेतु उपलब्ध कराई गई भूमि के एवज में पार्क क्षमता की 25 प्रतिशत क्षमता पर संपूर्ण अधिकार होगा। पार्क के प्रबंधन व दैनिक संचालन की जिम्मेदारी शासन की होगी। शासन द्वारा एस. पी. व्ही. (S.P.V.) या किसी एजेन्सी जो उपयुक्त हो जैसे कि ऊर्जा विकास निगम, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम आदि के माध्यम से पार्क का विकास किया जा सकता है। विकासक को पार्क की क्षमता की कम से कम 25 प्रतिशत क्षमता की विद्युत, म. प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी को औसत पूल पावर (APPC) दर पर विक्रय करना होगी।

माध्यम अ (4) हेतु—उपरोक्त वर्णित माध्यम अ (3) में उल्लेखित अधिकार के अतिरिक्त निवेश के अनुसार, पार्क की समानुपाती क्षमता का संपूर्ण अधिकार होगा। विकासक को पार्क की क्षमता की कम से कम 25 प्रतिशत क्षमता की विद्युत, म. प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी को औसत पूल पावर दर (APPC) पर विक्रय करना होगी।

माध्यम “ब” विभाग द्वारा पार्क का विकास.—विभाग द्वारा शासकीय भूमि पर शासन के निवेश द्वारा सौर ऊर्जा पार्क का विकास। इसके अंतर्गत विभाग द्वारा पार्क का विकास एस. पी. व्ही. (S.P.V.) या ऊर्जा विकास निगम, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम या शासन की अन्य विनिर्दिष्ट एजेन्सिज के माध्यम से कराया जा सकेगा। इस हेतु विभाग द्वारा पृथक से बजट प्राप्त किया जायेगा व उसकी पूर्ति निवेशकों के माध्यम से की जायेगी।

4. **पार्क की परिसीमाएँ.**—न्यूनतम 100 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा पार्क विकसित किये जा सकेंगे। सौर ऊर्जा पार्क के विकास हेतु कोई अधिकतम क्षमता सीमित नहीं होगी। पार्क की क्षमता की गणना में विद्युत उत्पादन क्षमता एवं सौर ऊर्जा उपकरण विनिर्माण क्षमता सम्मिलित होगी।

पार्क के अंतर्गत इकाईगत क्षमता.—किसी भी निवेशक को पार्क के अंतर्गत एक ईकाई हेतु न्यूनतम 0.25 मेगावाट क्षमता आवंटित की जा सकेगी। अधिकतम क्षमता सीमित नहीं होगी। सार्वजनिक-निजी क्षेत्र सहभागिता स्वरूप के अंतर्गत माध्यम अ (1) के विकासक को पार्क क्षमता का न्यूनतम 25 प्रतिशत या 25 मेगावाट जो भी अधिक हो, को स्वयं के स्वामित्व में रखना होगा।

5. **सौर ऊर्जा पार्क विकास हेतु आवंटन प्रक्रिया.**—माध्यम {(अ-1), (अ-2) एवं (अ-4)} के अंतर्गत विकासकों के चयन हेतु समय-समय पर प्रस्ताव आमंत्रित किये जावेंगे। निर्धारित समय-सीमा में आवेदनकर्ता विकासक स्वयं के द्वारा चिन्हित शासकीय भूमि अथवा विभाग द्वारा बेबसाईट पर प्रदर्शित शासकीय भूमि पर विकास हेतु किये जाने वाले कार्य, प्रस्तावित क्षमता व सहायक उपकरण निर्माण ईकाई आदि के तकनीकी विवरणों के साथ प्रस्ताव दे सकेगा।

5.1 **चयन प्रक्रिया.**—5.1.1 **माध्यम अ (1) के अंतर्गत विकासक हेतु.**—इस स्वरूप के विकासक को आवेदन के साथ शासन को दी जाने वाली निःशुल्क ऊर्जा का प्रस्ताव देना होगा। इसके अंतर्गत विभाग द्वारा विकासक के चयन हेतु योग्यता मापदण्ड निर्धारित

कर समय-समय पर आवेदन आमंत्रित किये जावेंगे. संबंधित भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर, प्रति मेगावाट अधिकतम निःशुल्क ऊर्जा देने वाले विकासक का सौर ऊर्जा पार्क विकास हेतु चयन किया जावेगा.

5.1.2 **माध्यम (अ-2) एवं (अ-4)** के अंतर्गत विकासक हेतु—इस स्वरूप के विकासक को आवेदन के साथ किये जाने वाले निवेश का प्रस्ताव देना होगा. संबंधित भूमि हेतु अधिकतम निवेश करने वाले विकासक का सौर ऊर्जा पार्क विकास हेतु चयन किया जावेगा.

5.2. **सौर ऊर्जा पार्क के अंतर्गत निवेशकों को क्षमता आवंटन हेतु चयन प्रक्रिया.**—5.2.1 निजी विकासक माध्यम अ-1 हेतु अपने एकाधिकार क्षमता एवं अ-2, अ-3 एवं अ-4 हेतु अपने अधिकार क्षेत्र की परियोजना क्षमता का आवंटन निवेशकों या पब्लिक प्रा. पार्टनर को करने हेतु स्वतंत्र होंगे.

5.2.2 सौर ऊर्जा पार्क के अंतर्गत माध्यम-ब एवं माध्यम अ (2), माध्यम अ (3) एवं माध्यम अ (4) हेतु शासन द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र की परियोजना क्षमता आवंटन हेतु निवेशकों का चयन पारदर्शी प्रक्रिया का अंतर्गत प्रस्ताव आमंत्रित कर किया जावेगा. संबंधित क्षमता हेतु भूमि ईकाई के आवंटन का आधार, शासन द्वारा संबंधित क्षमता हेतु भूमि ईकाई पर न्यूनतम निर्धारित प्रीमियम राशि के ऊपर का प्रस्ताव होगा. न्यूनतम प्रीमियम राशि के, निर्धारण सौर ऊर्जा पार्क के विकास में होने वाली शासन की लागत के आधार पर किया जावेगा.

5.3 **परिचालन अवधि.**—विकासक के चयन के उपरांत आवंटित परियोजना निर्माण, स्वामित्व, परिचालन तथा हस्तांतरण अर्थात् बूट के आधार पर संचालित होगी. बूट की अवधि जो वाणिज्यिक प्रचलन तिथि से प्रारंभ होगी, की अवधि 25 वर्ष होगी. बूट की अवधि के अंत में संपूर्ण परियोजना जिसमें चल-अचल संपत्तियाँ सम्मिलित होगी, बिना मूल्य के राज्य शासन को हस्तांतरित होगी. पार्क के अंतर्गत निवेशक को प्रति यूनिट जमीन बूट के अन्तर्गत आवंटित की जायेगी. निवेशक को आवंटित की जाने वाली भूमि हेतु समयावधि, पार्क हेतु निर्धारित 25 वर्षों के शेष वर्ष तक रहेगी. बूट अवधि समाप्त होने के उपरांत, विकासक को सौर पार्क निवेशकों द्वारा विकसित इकाई हेतु आगामी समयावृद्धि के लिए म. प्र. शासन निर्णय ले सकता है.

5.4 सोलर पार्क में स्थापित की गई इकाई से उत्पादित विद्युत के क्रय करने का प्रथम अधिकार म. प्र. विद्युत प्रबंधन क. लि. का होगा. इस क्रय हेतु म. प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर सौर ऊर्जा नीति-2012 के श्रेणी II व श्रेणी III के निवेशकों के लिए लागू होंगी.

6. परियोजना का विकास.—परियोजना का आवंटन (LOA) एवं सौर ऊर्जा पार्क के विकास हेतु अनुबंध:—

- 6.1 कण्डिका 5.1 के अनुसार, विकासक के चयन के उपरांत 15 दिवस में आवंटन पत्र जारी किया जावेगा.
- 6.2 आवंटन पत्र के जारी होने के तीस दिवस के अन्दर विकासक को सहमति पत्र के साथ पचास हजार रुपये प्रति हेक्टेयर भूमि या उसके भाग की दर से प्रक्रिया शुल्क जमा करना होगा.
- 6.3 विकासक को आवंटन पत्र जारी होने के साठ दिवस के अन्दर निष्पादन गारंटी 2.0 लाख प्रति हेक्टेयर या उसके भाग के अनुसार जमा करनी होगी. यह राशि बैंक गारंटी, डिमांड ड्राफ्ट या सावधि जमा रसीद (टी.डी.आर.) के रूप में की जा सकती है. निष्पादन गारंटी वाणिज्यिक उत्पादन से 3 माह के लिए विद्यमान होनी होगी. उक्त निष्पादन गारंटी की विमुक्ति इस नीति की कण्डिका 7.4 के अनुसार होगी.
- 6.4 चयनित विकासक को निष्पादन गारंटी के जमा किये जाने के तीस दिवस के अन्दर, सौर ऊर्जा पार्क विकास अनुबंध निष्पादित करना होगा.
- 6.5 यदि विकासक द्वारा निर्धारित समय सीमा में निष्पादन गारंटी नहीं जमा की जाती है तो विकासक को जारी आवंटन पत्र निरस्त माना जावेगा. इन परिस्थितियों में माध्यम-अ या माध्यम-ब के अनुसार परियोजना के विकास हेतु पुनः आवेदन आमंत्रित किये जा सकेंगे.

7. **सौर ऊर्जा पार्क विकास अनुबंध के उपरांत की गतिविधियाँ.**—7.1 विकासक को तीन माह के भीतर (नब्बे दिवस) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जिसमें कि भूमि के विकास की पूर्ण जानकारी सोलर पावर के उत्पादन के प्रति यूनिट या उपकरण के उत्पादन की प्रति यूनिट (यदि कोई है तो) में कितनी इकाई भूमि की आवश्यकता है, का उल्लेख किया जायेगा. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में आधारभूत सुविधाओं का सौर ऊर्जा पार्क में समावेश हो जिसमें कि आन्तरिक विद्युत इन्वेक्यूवेशन आंतरित विद्युत प्रदाय की, क्षमता के अनुसार पूलिंग सबस्टेशन, मीटर की व्यवस्था, जल प्रदाय, सड़क एवं सौर ऊर्जा पार्क में अन्य इकाईयों के लिए सड़क पहुंच मार्ग की व्यवस्था, सौर ऊर्जा पार्क हेतु दी जा रही प्रस्तावित सुविधाओं का आंकलन प्रतिवेदन में दिया जाना होगा. प्रस्तुत आंकलन की लागत विभिन्न नोडल एजेंसियों के मानक कार्यशील दरों के आधार पर की जावेगी.

7.2 विकासक के अंतिम स्पष्टीकरण के उपरांत एक माह में परियोजना प्रतिवेदन का म. प्र. शासन द्वारा अनुमोदन दिया जावेगा.

7.3 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुमोदन के उपरांत विकासक वित्तीय समापन एवं सौर ऊर्जा पार्क के विकास की कार्यवाही करेगा.

7.4 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की प्रशासकीय स्वीकृति की समय-सीमा के अनुसार, सौर ऊर्जा पार्क को कार्यशील किया जाना होगा. परियोजना की प्रगति की निगरानी/अनुश्रवण नीचे दर्शाई गई तालिका के आधार पर किया जावेगा:—

सौर ऊर्जा परियोजनाओं हेतु मापदण्ड तथा उसकी समय-सीमा

क्र.	मापदण्ड	समयसीमा (शून्य दिवस से)		निष्पादन गारंटी का प्रतिशत विमुक्ति का (%)
		सौर (PV)	सौर ताप	
1	प्रशासकीय अनुमोदन जारी होने की तिथि	शून्य दिवस	शून्य दिवस	—
2	वित्तीय समापन	06 माह	06 माह	20% (साक्ष्य प्रस्तुति के पंद्रह दिवस के भीतर)
3	पुलिंग सब स्टेशन के निर्माण, भूमि विकास व परियोजना के प्रतिवेदन में दर्शित विभिन्न समान सुविधाएं.	12 माह	12 माह	20% (साक्ष्य प्रस्तुति के पंद्रह दिवस के भीतर)
4	सौर ऊर्जा परियोजना की क्षमता की 25% स्थापना	16 माह	18 माह	20% (साक्ष्य प्रस्तुति के पंद्रह दिवस के भीतर)
5	100% स्थापना	24 माह	24 माह	40% (परियोजना स्थापना के तीन माह के सफल प्रचालन के बाद).

8. **भूमि.**—सौर ऊर्जा पार्क शासन की ऐसी राजस्व भूमि जो बंजर अनुपयोगी या गैर कृषि एवं गैर वन या निजी भूमि पर किया जावेगा. सौर ऊर्जा पार्क हेतु उपयोग किये जाने वाली भूमि एक चक्र न्यूनतम 100 हेक्टेयर होनी चाहिए. उपयोग की जाने वाली भूमि जो कि न्यूनतम 100 हेक्टेयर हो, से अन्य लगी हुई भूमि न्यूनतम 50 हेक्टेयर होनी चाहिए. लगी हुई भूमि 10 किलोमीटर त्रिज्या (Radius) के अंदर व पार्क के उपयोग में आने वाली भूमि का कोई भी अंतिम छोर 20 किलोमीटर दूरी के अंदर होना होगा.

8.1 चिन्हित राजस्व भूमि या निजी भूमि जो कि सौर ऊर्जा पार्क के विकास के लिये प्रयुक्त हो पर पर्याप्त सौर विकिरण होना चाहिए.

8.2 यदि विकासक द्वारा शासकीय भूमि का चयन किया जाता है तो भूमि के पुष्टिकरण हेतु जिला कलेक्टर को अग्रेषित

क्रिया जावेगा. यदि भूमि सौर विद्युत् उत्पादन हेतु उपयुक्त हो तो इस नीति के अन्तर्गत एवं सौर नीति 2012 की शर्तों के निहित निर्धारित हो, जिला कलेक्टर भूमि नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग को हस्तांतरित करने की कार्यवाही करेगा.

- 8.3 जिला कलेक्टर जमीन को चिन्हित कर नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग को अवगत करायेंगे. सौर ऊर्जा पार्क की अनुकूलता के लिये नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग जमीन की प्रारंभिक साध्यता का अध्ययन करेगा.
- 8.4 साध्यता अध्ययन के आधार पर नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, संबंधित जिला कलेक्टर से जमीन के हस्तांतरण के लिये आवेदन करेगा. सौर ऊर्जा से विद्युत् उत्पादन नीति-2012 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार जिला कलेक्टर द्वारा चयनित भूमि का हस्तांतरण करने की कार्यवाही की जावेगी.

भाग—ब

अन्य प्रावधान

1. सौर ऊर्जा परियोजना नीति 2012 के भाग अ एवं भाग ब में उल्लेखित प्रावधान जो कि मीटरिंग, विद्युत् का निष्क्रमण, समय वृद्धि, विद्युत् का विक्रय, प्रतिक्रियाशील पावर चार्ज (Reactive power charge) आदि से संबंधित है, सौर ऊर्जा पार्क विकास के लिये लागू होंगे.
2. सौर ऊर्जा परियोजना के विकास के लिये नीति 2012 भाग-स में प्रावधानित सभी प्रोत्साहन, सौर ऊर्जा पार्क के विकास के लिये लागू होंगे.
3. विभाग, नीति की कण्डिका 8 के अनुसार ऐसी भूमि, को जिसके किसी अंश के लिए किसी आमंत्रण प्रक्रिया के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त किये जाते हैं, सौर पार्क विनिर्दिष्ट (Designate) किया जा सकेगा. इस हेतु पंजीकृत या पंजीयन प्रक्रिया में ली गई परियोजनाएं इस प्रावधान में ली जा सकती है. ऐसे चिन्हित स्थल पर कुल न्यूनतम क्षमता 200 मेगावाट होनी चाहिए.
4. सौर पार्क के विकास हेतु इस नीति के अधीन आयुक्त कार्यालय, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, म. प्र. भोपाल, नोडल कार्यालय होगा.
5. यदि माध्यम अ, (3 & 4) एवं माध्यम ब के अनुरूप पार्क का विकास शासन द्वारा किया जाता है तो इस कार्य का संपादन शासन द्वारा निर्दिष्ट की गई किसी भी इकाई द्वारा किया जा सकता है.
6. इस नीति के अन्तर्गत किसी भी निर्मित होने वाले सौर पार्क को राष्ट्रीय सौर मिशन चरण-एक व चरण-दो या अन्य कोई केन्द्र शासन की आने वाली योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा. इस हेतु इन योजनाओं के अन्तर्गत प्रावधानों को पूर्ण करने पर लाभ प्राप्त होंगे.

परिशिष्ट “द”

POLICY FOR DEVELOPMENT OF SOLAR PARKS IN THE STATE OF MADHYA PRADESH

Preamble:—State Government (GoMP) has notified its policy for implementation of solar power based projects 2012. In clause number 4 part B of the general provisions, it is conceived that “The state would take appropriate steps to set up solar parks to promote investment in solar power generation in the state either on its own or through a PPP mode. Solar technology parks for generation and manufacturing units in equipment & related ancillaries for Solar systems shall be promoted and established at appropriate locations in the state of Madhya Pradesh. The SME sector will be promoted for manufacture of various components and systems for solar systems. The solar technology parks will be given preference in land allocation and creation of essential facilities by the state Government. Such Solar technology parks shall also be eligible for benefits under the state's Industrial Promotion Policy as amended from time to time.”

A solar park is conceived as a concentrated zone for development of solar power and manufacturing facilities for equipment and related ancillaries for solar power producing systems. It is conceived that such a zone having production capacity of a significant quantum would ensure availability of solar power at a reasonable cost. The development of such a park would facilitate the small developers to participate in solar power generation and this would ensure generation of significant amount of power for the grid at one concentrated location.

Apart from this, the Park provides for a single window clearance for speedy implementation of solar power projects.

Policy Frame Work:—This policy shall be within the ambit of the “Implementation of solar power based projects in Madhya Pradesh 2012 (policy 2012)” notified by GoMP. Wherever any interpretation of any provision is required, the policy 2012 shall have precedence over this policy.

PART-A

GUIDING PRINCIPLES OF THE SOLAR PARK POLICY

1. **Applicability.**—i. All solar energy based power project developers (Solar PV/Solar Thermal) and manufacturing units of equipments, ancillaries related to solar power projects shall be eligible for benefits under the Policy.

ii. Only new plant and machinery shall be eligible for installation under the Policy.

2. For the development of Solar Park under this Policy, Companies incorporated under the Company's Act, on standalone basis or as a part of the bidding consortium shall be eligible to apply as “Developer” of the Park. A foreign company can also participate on standalone basis or as a member of consortium but before signing of Letter of Allotment foreign company has to form an Indian Company registered under the Company's Act. Companies can execute the project through a Special Purpose Vehicle (SPV). However the SPV has to be formed before signing of LOA. The participating entity should have a minimum turnover of Rs. 5 Cr. per Megawatt applied for, as per the last audited balance sheet. The company must also have had the experience of establishing a solar energy based power project of a capacity of at least 50% of the applied capacity of the solar park. All the units under the various categories of the solar policy 2012 shall be eligible for setting up of units inside the park. (Example : for 100MW applied capacity, the bidder should have minimum Rs. 500 Cr. Turnover and must have cumulative experience of setting up of 50 MW solar power projects).

3. **Development Mode of the Parks.**—Solar parks are envisaged to be developed in the following modes:—

Mode-A Public Private participation (PPP Mode) : A(1) The Park is developed entirely through private funding on government land.

A(2) The Park is developed by private developer through cost sharing between the GoMP and private developer on Government land.

A(3) The Park is developed by the GoMP funding on private land.

A(4) The Park is developed by private developer through cost sharing between the GoMP and private developer on private land.

Note:—

For A (1) above: The private developer shall have full right over the park capacity and the choice of layout design/selection of individual investors and all commercial decisions. The developer has to sell at least 25% of the total capacity of power produced from the park to MP Power Management Co. Ltd at the Average Pool Power Purchase cost. As an alternative mode, the Government may allocate the identified land to the concerned developers. The lead developer or consortium of all the developers may develop the common facilities.

For A (2) above: Normally, the private developer shall have management control of the park and will be responsible for all the managerial decisions and day to day operation of the Solar Park. He shall also have exclusive rights over the equivalent percentage of the park capacity as percentage of cost shared by him. In case the holding of the Government is above 50% in the project, the above function will lie with the Government who may form SPV if it deems fit or give the responsibility to any agency it deem fit like Urjavikas Nigam, Audyogik Kendra Vikas Nigam etc. The developer has to sell at-least 25% of the total capacity of power produced from the park to MP Power Management Co. Ltd at the Average Pool power Purchase cost.

For A (3) above:—The land owner shall have the exclusive right over the 25% of the Park capacity as his part of cost sharing in lieu of land. The Government will be responsible for all the managerial decisions and day to day operation of the Park. The Government may form SPV for the purpose or give the responsibility to any agency it deems fit like Urja Vikas Nigam, Audyogik Kendra Vikas Nigam Etc. The developer has to sell at-least 25% of the total capacity of power produced from the park to MP Power Management Co. Ltd at the Average Pool power Purchase cost.

For A (4) above:—The land owner who shall be sharing the cost, shall have exclusive rights over the equivalent percentage of the park capacity as percentage of cost shared by him over and above the rights specified as in (ii) above in lieu of his land. Normally the Private developer shall have the Management control of the park and will be responsible for all managerial decisions and day to day operation of the Solar Park. The developer has to sell at-least 25% of the total capacity of power produced from the park to MP Power Management Co. Ltd at the Average Pool Power Purchase Cost.

Mode “B” Development by Department :—The Park is developed entirely through Government funding on the designated government land. The Government may form SPV for the purpose or give the responsibility to any agency it deems fit like Urja Vikas Nigam, Audyogik Kendra Vikas Nigam etc.

4. Capacity Cap :—The Park to be taken up for development should be of minimum capacity of 100 MW. There shall be no maximum capacity cap. The capacity would include bothe power generation and equivalent manufacturing capacity.

Individual Unit Capacity :—The minimum capacity allocation within the Park to any investor shall be 0.25 MW and there shall not be any maximum capacity cap. In case of mode (A) (1) of development of the Park, the private developer must own a minimum solar power generation equivalent capacity of 25% of the Park capacity or 25 MW whichever is higher.

5. Allotment Process for Development of Park :—GoMP will invite offers in the form of request for proposal (RFP) from Developers for the development of the Park under development mode mentioned in Mode A(1, 2 & 4), from time to time. Whithin the specified time limit, the Developer who wants to submit proposals for setting up a Solar Park on government land as notified by the department on the official website, will be able to apply giving details of the development proposed to be carried out, the proposed solar power capacity and/or ancillary solar equipment manufacturing unit along-with the necessary technical specifications.

5.1. Selection Process :— 5.1.1. For Mode A (1) : The bidders are required to quote the amount of free energy per annum per megawatt per hectare, that would be offered by him. The site shall be allotted to the developer who bids for the maximum free electrical energy for the specified piece of land.

5.1.2. For Mode A(2) : bidders are required to quote the quantum of investment they shall be sharing. The site shall be allotted to the developer who bids for the maximum investment for the specified piece of land.

5.2. Selection Process for investors inside the Park :—5.2.1 In case of mode A (1); for the portion under the exclusive right of the investor in mode A (2); mode A (3) and Mode A (4), the allotment of land within the park to investors setting up individual units will be as per the discretion of the developer or the PPP partner.

5.2.2. In case of mode B and for the portion of the capacity for which government need to decide as per mode A (2), mode A (3) and mode A (4), the selection of investors setting up individual units shall be done in a transparent manner after inviting offers. The basis of allotment of land unit for solar power or developed solar power unit to investors setting up individual units shall be upfront premium. The premium shall be based on the net cost of development of the park by the govt. The net cost of development of the park will be arrived at after deducting the share of the private developer from the gross investment made in developing the park.

5.3 Operative Period :—On selection of the Developer the site shall be allotted to the developer for development of the Park under Build, Own, Operate and Transfer *i.e.* BOOT basis. The BOOT period shall start from the Commercial Operation Date (COD) and BOOT period shall be for 25 years. The individual units allotted to the investors shall be for the period remaining from the above mentioned project life of 25 years. At the end of the BOOT period, the entire project, including movable and immovable assets, shall be transferred to the State Government at no extra cost. After the BOOT period, GoMP may consider extension of the period for the Park developed by the Developer or the units setup by the Investors for a further period as may be decided the by GoMP.

5.4. The MP Power Management Co. Ltd shall have the first right of rejection of purchase of power produced from the power units installed inside the park. In this case the power purchase rate shall be as notified by MP Electricity Regulatory Commission (MPERC) for category II and III projects under the Policy 2012.

6.0 Development of Project: Letter of Allotment (LOA) and Solar Park Development Agreement (SPDA).—

6.1 On selection of the Developer [as referred to in Clause e(i) above, the Letter of Allotment (LOA) Shall be issued within 15 days of selection].

6.2 The Developer shall be required to submit his consent within 30 days of issue of LOA and deposit Rs. 50,000 per hectare or part there of as processing fee.

6.3 The Developer will be required to deposit Performance Guarantee, which will be Rupees 2.0 Lakh per Hectare or part thereof, within sixty days of issue of LOA. This Guarantee amount may be in the form of Bank Guarantee, demand Draft or Term Deposit Receipt. This Guarantee should have validity of upto three months after the Date of Commercial operation of the Project. The Performance Guarantee shall be released as per the provisions of clause 7.4 of this policy.

6.4 Within thirty days of submission of Performance Guarantee, the selected Developer shall be required to execute the Solar Park Development Agreement (SPDA).

6.5 If the selected Developer fails to submit the prescribed Performance Guarantee, the LOA will be treated as cancelled. Under such a circumstance, the offers will be re-invited as per the provisions of this Policy for Mode-A development or, may be taken up for development under Mode-B.

7.0 Post SPDA Activities.—7.1 Within three months after execution of the Solar Park Development Agreement (SPDA), the Developer shall submit the detailed project report (DPR) consisting of detailed proposal of land development, land use in terms of land units for solar Power generation and for manufacturing units if any. The report should have details of the infrastructure facilities to be created inside the park which shall include internal power evacuation arrangement, internal power supply arrangement, pooling substation of required capacity, metering arrangement, internal water supply, internal roads, approach road to the Park and other common facilities required for individual units. The report shall have the cost estimates for te facilities proposed. The costs shall be estimated based on the standard operating rates of various respective nodal agencies.

7.2. GoMP shall approve the DPR after obtaining the necessary clarifications, if any, within one month of final submission by the Developer.

7.3 After approval of the DPR, the Developer shall proceed with the financial closure and development of the park.

7.4 The Park must be commissioned within the timelines mentioned below from the date of administrative approval of DPR, Monitoring of progress of the project shall be done based on the timelines mentioned below:—

Benchmarks and timelines for Solar power projects

S.No.	Benchmark	Timeline (from zero day)		Percentage refund of performance guarantee(%)
		Solar PV	Solar Thermal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Date of issue of administrative approval	Day 0	Day 0	
2	Financial closure	6 Months	6 Months	20% (within 15 days of the submission of proof).
3	Construction of Pooling Substation, Land Development and other Common facilities as per DPR.	12 Months	12 Months	20% (within 15 days of the submission of proof).
4	Commissioning of 25% of the Solar Power Capacity.	16 Months	18 Months	20% (within 15 days of the submission of proof).
5	100% commissioning	24 Months	24 Months	40% (after 3 months of successful operation from the date of project Commissioning).

8.0 **Land.**— For parks to be developed on government land, they should preferably be developed on revenue land which is barren, non-agricultural and non-forest land. The Parks can be developed on private land that is appropriate for the purpose. For the Park, land to be used should be of minimum 100 hectares. The land to be taken up should have minimum 100 hectare of one contiguous tract and further associated land with this tract of land. The associated piece should be of minimum 50 hectares. The Associated land should be located within a radius of 10 k.m and such that no end points are separated by a distance of more than 20 km.

8.1 The identified revenue land or private land to be taken up for the Park development should have adequate solar radiation for development of solar power.

8.2 In case of government land identified by the developer, the same shall be referred to the district collector for verification. If the land qualifies for the purpose of solar power generation under this policy and conditions stipulated in the solar policy 2012, the collector shall transfer the land to the New and Renewable Energy Department.

8.3 The district collectors shall identify such stretches of non forest, non agricultural barren land suitable for the establishment of solar parks for the generation of solar power and notify it to the new and renewable energy department. The department shall carry out initial feasibility study of the land for its suitability for development of the Solar Park.

8.4 After conducting a due feasibility study, the NRE, department shall make necessary request to the concerned district collector for transfer of land to the department. The identified land shall be transferred to the new and renewable energy department by the collector in accordance with the provisions mentioned in the Policy for Solar Power based Projects 2012.

PART—B

OTHER PROVISIONS

1. All other provisions as per the policy 2012 related with metering, power evacuation, time extension, power sale, reactive power charges, time extension etc, mentioned in Part A and Part B of the Solar Policy 2012 shall be applicable for the Park development.
2. All the incentives as provided under the Solar Policy 2012 for development of solar power projects given under Part C of the Policy shall be applicable for the development of Solar Park.
3. The department may designate any location as solar park where the land is identified as per the provisions mentioned in clause 8 of this policy and for which applications have already been received earlier under any request for proposal. The projects already registered or under registration may be considered for the purpose. The cumulative capacity of such location should be more than 200 MW.
4. Office of Commissioner New and renewable energy MP Bhopal shall be the nodal office for development of the Parks under this policy.
5. In case the park is developed by the government as per mode A (3 & 4) and Mode B, the same can be executed by any agency as may be decided for the purpose by the department.
6. All benefits under the national Solar Mission of Phase one or two or any subsequent scheme of the Central Government will be applicable for the parks to be set up under this policy, provided they fulfil the norms for the same.